सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **53/2018** दायर दिनाँक **19.02.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. सरदारखाँ पुत्र निजावतखाँ, जाति–मुसलमान कायमखानी, निवासी–चौलूखाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. महबूबखाँ पुत्र निजावतखाँ, जाति–मुसलमान कायमखानी, निवासी–चौलूखाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
अन्तर्गत धारा–136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. वादीगण उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **17.05.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, ग्राम चौलूखाँ तहसील डीडवाना स्थित खसरा नम्बर 71 रकबा 09.00 बीघा वादीगण की संयुक्त खातेदारी का जायगा रहता आया है।

ग्राम चौलूखाँ स्थित गैरमुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 286/490 व 286/491 जो कि सैटलमेन्ट विभाग द्वारा अवैध एवं विधि विरूद्ध ढंग से खसरा नम्बर 242 की पश्चिमी–उत्तरी पर कायम किया गया है उसे पुनः खसरा नम्बर 242 के मध्य में जहाँ कि गैरमुमकिन रास्ता

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 504/242 के रूप में स्थित था उस स्थान पर दुरस्त किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाने का आदेश पारित किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, पेश किया है।

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**चौलूखाँ** में पत्रावली पेश हुई। वादीगण उपस्थित। वादीगण को सुना गया। वादीगण निवेदन कर रहे हैं कि, वाद अनुसार दावा डिक्री किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

मजमे आम में प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। प्राप्त जानकारी व पत्रावली के अवलोकन से सामने आया कि, खसरा नम्बर 242 के मध्य में से होकर रास्ता कायम था परन्तु खसरा नम्बर 242 की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे नया रास्ता खसरा नम्बर 286/490 व 286/491, सैटलमेन्ट विभाग द्वारा कायम कर दिया गया है। इस नये रास्ते के हटाकर वही पुराना रास्ता जो खसरा नम्बर 242 के मध्य में से होकर गुजरता था को पुनः पूर्ववत् घोषित किया जावे।

मजमें आम में प्राप्त जानकारी व पत्रावली पर उपलबध रिकॉर्ड के परिप्रेक्ष्य में, खसरा नम्बर 242 की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे नया रास्ता खसरा नम्बर 286/490 व 286/491, जो कि सैटलमेन्ट विभाग द्वारा कायम कर दिया गया है को हटाकर इसके स्थान पर खसरा नम्बर 242 के मध्य में से होकर गजरने वाला रास्ता जो पूर्व में गुजरता था को, पुनः पूर्ववत् रास्ता घोषित किया जाना, वर्तमान साक्ष्यों के सन्दर्भ में न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण, स्वीकार किया जाकर, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 53/2018
दायर दिनाँक 19.02.2018, निर्णय दिनाँक 17.05.2018
सरदारखाँ, वगैरा बनाम् सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना।

–:: **आदेश** ::–

हस्ब दावा स्वीकार किया जाकर, शरहद मौजा **चौलूखाँ** में वादग्रस्त/वादवर्णित खसरा नम्बर 242 की पश्चिमी–उत्तरी सींव–सींव से होकर वर्तमान में घोषित गैरमुमकिन रास्ता, खसरा संख्या 286/490 व 286/491 को हटाकर उसके स्थान पर, खसरा नम्बर 504/242 में से होकर जो पूर्व में घोषित रास्ता था, को ही, पूर्ववत्, रास्ता की भूमि घोषित की जाती है, जो चौलूखाँ ग्रामपंचायत से सूपका जाने वाले कट्टाणी रास्ता से फन्टकर रास्ता वादी खेत खसरा नम्बर 242 वाकै शरहद चौलूखाँ में से होकर जायेगा जो आगे मारिया नाडी में मिल जायेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–चौलूखाँ

निर्णय, आज दिनाँक **17.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–चौलूखाँ

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
–:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::–
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **53/2018** दायर दिनाँक **19.02.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. सरदारखाँ पुत्र निजावतखाँ, जाति–मुसलमान कायमखानी, निवासी–चौलूखाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. महबूबखाँ पुत्र निजावतखाँ, जाति–मुसलमान कायमखानी, निवासी–चौलूखाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
अन्तर्गत धारा–136 L.R. Act.

दिनाँक **17.05.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान्** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा स्वीकार किया जाकर, शरहद मौजा **चौलूखाँ** में वादग्रस्त/वादवर्णित खसरा नम्बर 242 की पश्चिमी–उत्तरी सींव–सींव से होकर वर्तमान में घोषित गैरमुमकिन रास्ता, खसरा संख्या 286/490 व 286/491 को हटाकर उसके स्थान पर, खसरा नम्बर 504/242 में से होकर जो पूर्व में घोषित रास्ता था, को ही, पूर्ववत्, रास्ता की भूमि घोषित की जाती है, जो चौलूखाँ ग्रामपंचायत से सूपका जाने वाले कट्टाणी रास्ता से फन्टकर रास्ता वादी खेत खसरा नम्बर 242 वाकै शरहद चौलूखाँ में से होकर जायेगा जो आगे मारिया नाडी में मिल जायेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत............. ....–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **17.05.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–चौलूखाँ

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—चौलूखाँ

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः—53—2018 / रीडर / 2018 / दिनाँक 17.05.2018

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा

अन्तर्गत धारा—136 L.R. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. सरदारखाँ पुत्र निजावतखाँ, जाति—मुसलमान कायमखानी, निवासी—चौलूखाँ, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. महबूबखाँ पुत्र निजावतखाँ, जाति—मुसलमान कायमखानी, निवासी—चौलूखाँ, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—चौलूखाँ

Scanned by CamScanner